(144)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग 2380-I-16

क्रमांक / 16 निगरानी

दिनांक 20.7.16 को रामसेवक शर्मा द्वारा प्रस्तुत।

20.7.16

20-6-16

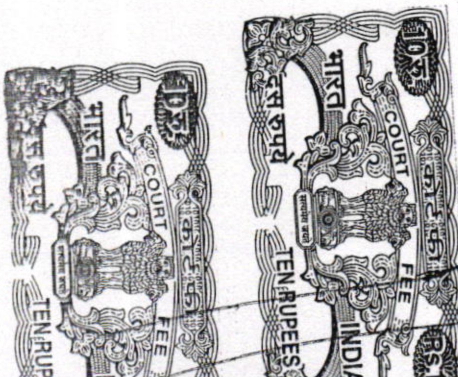

सूरज सिंह पुत्र चन्नी सिंह जाति कौरव
निवी ग्राम मुरावली हॉल निवासी दबोह
जिला भिण्ड (म0प्र0)

निगरानी कर्ता

बनाम

1. गोपाल कृष्ण पुत्र अमरदेव
2. विनोद कुमार पुत्र अमरदेव
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र अमरदे
4. महिला रामदेवी बेवा अमरेद
   समस्म जाति बैरागी निवासी ग्राम
   दबोह तहसील लहार जिला भिण्ड
5. अध्यक्ष कृषी उपम मंडी दबोह
   आलमपुर तहसील लहार
6. सचिव कृषी उपज मंडी दबोह
   आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्ड

गैर निगरानी कर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 लैण्ड रिब्येन्यू कोर्ड विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड प्रकरण कमांक 23 / 13–14 अपी0मा0 दिनाक 30 / 06 / 2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

श्रीमान् जी,

1. यह कि, राजेन्द्र सिंह बुदेला निवासी ग्राम-- देवरी कलॉ तहसील लहार जिला भिण्ड ने एक याचिका उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर के समक्ष इस आशाय की पेश की कि कृष उंपज मंडी आलमपुर दबोह के लिये दबोह की आराजी नम्बर 438 / 2 के संबंध में माननीय

क्रमश....2

(144)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - भिण्ड

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2380-एक/16

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलैक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	